फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री लोगर** | विपक्षी :— **श्री डालु वगैरह**

किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :— 94/18

जीसीएमएस नम्बर :— 2018/00361

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.10.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 14/1 से 14/7, 14/9 से 14/11 मय स्वयं विपक्षी संख्या 14/1 से 14/7, 14/9 से 14/11 को बार—बार आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 से 13, 14/8, 14/12, 15, 16 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस टी.आई. सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात के विपक्षीगण पडौसी खातेदार होने से विपक्षीगण द्वारा अनाधिकार रूप से जबरन ताकत के बल पर मेरी खातेदारी की आराजीयात में निर्माण करने पर उतारू है जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज [illegible] मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण खातेदार नहीं होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:14 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर निर्माण कार्य कर लेते है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है जिससे पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी एवं इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 11.07.2018 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थींगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली तहसील मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 3705, 3715 किता 2 कुल रकबा 12 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:14 IST
Reason: SelfAttested